

कक्षा IX और XI में प्रवेश हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

सी.बी.एस.ई. ने अपने परीक्षा-उपविधियों (बायलॉज), अध्याय 3 नियम 8(1) से (viii) तक के अनुसार अपने परिपत्र पत्र सं. : Coord/RO/प्रवेश-IX-XI/2019, दिनांकित 18/7/2019 द्वारा कक्षा IX और कक्षा XI में प्रवेश को सरल और कारगर बनाने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है।

विद्यालयों को प्रभावी रूप से मानक परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने, समझने और अधिक सुगम बनाने के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.एस) को तैयार किया गया है। यह माना जाता है कि परीक्षा उप विधियों में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न विद्यालयों को कार्य करने में सहायक सिद्ध होंगे।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न नीचे दिए हैं:-

एस.ओ.पी. के अनुरूप प्रवेश की श्रेणी	श्रेणी का विवरण	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न	उत्तर
श्रेणी-I	क) मिडिल स्तर विद्यालय से कक्षा-IX में स्थानांतरण (ख) माध्यमिक स्तर विद्यालय से कक्षा-XI में स्थानांतरण (ग) पूर्व विद्यालय में विषयों की अनुपलब्धता होने के कारण एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से दूसरे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरण (शिफ्टिंग)	क्या विद्यालय को अपने उसी विद्यालय में कक्षा-VIII से अपने आप ही कक्षा-IX में दिए गए प्रवेश का विवरण सी.बी.एस.ई. को भेजने की आवश्यकता है?	नहीं. सी.बी.एस.ई को न तो विवरण भेजे जाने हैं और न ही किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता है, यदि : <ul style="list-style-type: none"> • प्रवेश 40 प्रति सेक्शन अर्थात् अनुमत क्षमता में है। • प्रवेश जो 40 की अनुमत क्षमता से अधिक न हो। कक्षा-IX और कक्षा-XI के पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर लिया जाता है
		क्या विद्यालय को दूसरे विद्यालय के कक्षा-VIII से विद्यार्थियों को कक्षा-IX में प्रवेश दिये जाने का विवरण सी.बी.एस.ई को भेजने की आवश्यकता है?	
		क्या विद्यालय को समान बोर्ड के कक्षा-VIII से कक्षा-IX में प्रवेश देने पर सी.बी.एस.ई. को विवरण भेजने की आवश्यकता	
		क्या विद्यालय को किसी अन्य बोर्ड के कक्षा-VIII से कक्षा-IX में प्रवेश देने पर सी.बी.एस.ई. को विवरण भेजने की आवश्यकता है।	
		प्रवेश के लिए शेड्यूल क्या होगा?	
	प्रक्रिया प्रभार क्या होगा?	विद्यालय द्वारा अपने शेड्यूल के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है।	
			किसी भी प्रकार का प्रक्रिया प्रभार नहीं है।

श्रेणी-2	माता-पिता की वर्तमान तैनाती स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने के कारण स्थान परिवर्तन.	किसी बच्चे के पिता का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो गया है तो क्या ऐसे बच्चे को प्रवेश देने के लिए सी.बी.एस.ई से अनुमति लेने की आवश्यकता है?	नहीं, यदि यह 40 प्रति सेक्शन की अनुमत क्षमता की सीमा में है और प्रवेश जो 40 की अनुमत क्षमता की सीमा से अधिक नहीं हों कक्षा-IX और कक्षा-XI के पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर लिया गया हो।
		माता-पिता का स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में प्रवेश के लिए शेड्यूल क्या होगा?	प्रवेश किसी भी समय दिया जा सकता है।
		माता-पिता का स्थानान्तरण हो जाने पर प्रवेश के समय सभी अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं?	क. माता-पिता का अनुरोध पत्र। ख. पिछले विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड। ग. पिछले विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र। घ. स्थानान्तरण आदेश की प्रतिलिपि जो उस कार्यालय द्वारा अभि-प्रमाणित (केवल नीली स्याही युक्त) हो, जहाँ पर विद्यार्थी के माता-पिता ने कार्यभार ग्रहण किया है।
		माता-पिता का स्थानान्तरण हो जाने पर प्रवेश के समय सभी वैकल्पिक दस्तावेज क्या हैं?	स्थानान्तरण के बाद विद्यार्थी के माता-पिता ने जिस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, द्वारा जारी किए गए कार्यालय अभिलेखानुसार स्थानीय निवास पता।
		प्रक्रिया प्रभार क्या होगा?	किसी भी प्रकार का प्रक्रिया प्रभार नहीं है।
		माता-पिता के निजी क्षेत्र में सेवारत होने और वर्तमान तैनाती स्थल से अन्य स्थल पर स्थानान्तरण हो जाने पर कौन-कौन से दस्तावेज एकत्रित करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है?	प्रक्रिया और दस्तावेजों की आवश्यकता वही होती है जो माता-पिता के सरकारी कर्मचारी होने अथवा निजी संगठन में सेवारत होने के लिए आवश्यक होती है।

श्रेणी-3	माता-पिता का सेवा कार्यकाल पूरा होने/सेवानिवृत्ति होने के कारण स्थान परिवर्तन (शिफ्टिंग)	क्या किसी ऐसे बच्चे को प्रवेश देने हेतु सी.बी.एस.ई से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, जिसके माता-पिता सेवानिवृत्त हो चुके हैं और किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं?	नहीं, यदि यह 40 प्रति सेक्शन की अनुमत क्षमता की सीमा में है और प्रवेश 40 की अनुमत क्षमता से अधिक नहीं हो कक्षा-IX और कक्षा-XI के पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर लिया गया हो।
	माता-पिता के स्थानान्तरण होने की स्थिति में प्रवेश लेने हेतु शेड्यूल क्या होगा?		प्रवेश किसी भी समय दिया जा सकता है।
	माता-पिता का स्थानान्तरण होने के मामले में प्रवेश के लिए सभी अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं?		क. माता-पिता का अनुरोध पत्र। ख. पिछले विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड। ग. पिछले विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र। घ. स्थानान्तरण आदेश की प्रतिलिपि उस कार्यालय द्वारा अभि-प्रमाणित (केवल नीली स्याही युक्त) हो जहाँ पर विद्यार्थी के माता-पिता ने कार्यभार ग्रहण किया है।
	माता-पिता का स्थानान्तरण हो जाने पर प्रवेश के समय सभी वैकल्पिक दस्तावेज क्या हैं?		(क) नियमानुसार संबंधित राज्य के पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष विधिवत पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/उपहार विलेख/पट्टा/विलेख/आबंटन पत्र आदि स्थानीय आवासीय पते का प्रमाण के रूप में। (ख) यदि संबंधित विद्यार्थी अपने नये विद्यालय में अस्थायी प्रवेश की तिथि से अपने किसी संबंधी के साथ रह रहा है तो इस संबंध का एक वचन। (ग) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया उस रिश्तेदार/संबंधी का पहचान-पत्र।

		प्रक्रिया प्रभार क्या होगा?	किसी भी प्रकार का प्रक्रिया प्रभार नहीं है।
		माता-पिता के निजी क्षेत्र में सेवा से सेवा निवृत्त होने पर कौन से दस्तावेज एकत्रित करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है?	प्रक्रिया और दस्तावेजों की आवश्यकता वही होती है जो माता-पिता के सरकारी कर्मचारी होने अथवा निजी संगठन में सेवारत होने के लिए आवश्यक होती है।
श्रेणी-4 से 10	<ul style="list-style-type: none"> • परिवार का स्थान परिवर्तन (क) से (घ) में • छात्रावास में स्थानांतरित करना • छात्रावास से स्थानांतरित • कक्षा-IX अथवा कक्षा-XI में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण दूसरे विद्यालय में पुनः प्रवेश • बेहतर शिक्षा • लम्बी दूरी • चिकित्सा आधार 	क्या किसी ऐसे बच्चे को प्रवेश देने के लिए सी.बी.एस.ई से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, जिसके माता-पिता सेवा निवृत्त हो चुके हैं और किसी दूसरे स्थान पर जा हो चुके हैं?	नहीं, यदि यह 40 प्रति सेक्शन की अनुमत क्षमता की सीमा में है और प्रवेश 40 प्रति सेक्शन की अनुमत क्षमता से अधिक नहीं, कक्षा-IX और कक्षा-XI में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर लिया गया हो।
		माता-पिता के स्थानांतरण की स्थिति में प्रवेश हेतु शेड्यूल क्या होगा?	प्रवेश किसी भी समय दिया जा सकता है।
		माता-पिता के स्थानांतरण की स्थिति में प्रवेश के लिए सभी अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं?	प्रवेश के समय परिपत्र में विशिष्ट श्रेणी में उल्लिखित सभी दस्तावेज प्रवेश के समय एकत्र किये जाने आवश्यक है।
		क्या बेहतर शिक्षा की वजह से प्रवेश लेने की स्थिति में कक्षा IX/X में पढ़ाने वाले शिक्षकों का अध्यापन अनुभव और बोर्ड परीक्षा का पिछले पांच वर्षों के परीक्षा परिणाम लेना अनिवार्य है?	नहीं
		प्रक्रिया प्रभार क्या होगा?	किसी भी प्रकार का प्रक्रिया प्रभार नहीं है।

श्रेणी- 11	बोर्ड का बदलना	अन्य बोर्ड के किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने की स्थिति में प्रवेश हेतु क्या शेड्यूल होगा?	प्रवेश किसी भी समय दिया जा सकता है।
		अन्य बोर्ड के किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने की स्थिति में प्रवेश हेतु सभी अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं?	क. माता-पिता का अनुरोध पत्र। ख. पिछली कक्षा का रिपोर्ट कार्ड। ग. पिछले विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र।
		अन्य बोर्ड के किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने की स्थिति में प्रवेश हेतु सभी वैकल्पिक दस्तावेज क्या हैं?	क. बोर्ड की परीक्षा के अंतिम पांच वर्षों के परीक्षा परिणाम। ख. कक्षा-IX/XI पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता एवं शिक्षण अनुभव (जैसा भी मामला हो) ग. बोर्ड बदलने हेतु विद्यार्थी के माता-पिता द्वारा दिया जाने वाला स्पष्टीकरण।
		प्रक्रिया प्रभार क्या होगा?	किसी भी प्रकार का प्रक्रिया प्रभार नहीं है।

प्रायः पूछे जाने वाले अन्य प्रश्न

प्रश्न	उत्तर
विद्यालयों को कक्षा-IX/कक्षा-XI में प्रवेश के लिये कब सी.बी.एस.ई से अनुमति लेने की आवश्यकता है?	(क) प्रवेश बन्द हो जाने और उपरोक्त सभी 1 से 11 तक की श्रेणियों में निर्धारित कक्षा क्षमता अर्थात् 40 प्रति सेक्शन से अधिक प्रवेश की स्थिति में। (ख) 1 से 11 तक की उपर्युक्त सभी श्रेणियों में पंजीकरण तिथि के बाद प्रवेश दिए जाने की स्थिति में।
प्रक्रिया प्रभार कब लिए जाते हैं?	जब कभी भी विद्यालय सी.बी.एस.ई से अनुमति ले रहे हों अर्थात् निम्नलिखित मामलों में : (क) प्रवेश प्रक्रिया बन्द होने और कक्षा में निर्धारित क्षमता अर्थात् 40 प्रति सेक्शन से अधिक हो जाने की स्थिति में।

	(ख) यदि प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि के पश्चात किये जाते हैं।
यदि पंजीकरण की अंतिम तिथि के पश्चात विद्यार्थियों को कक्षा-IX अथवा कक्षा-XI में प्रवेश दिया जाता है, तो सी.बी.एस.ई से कब अनुमति ली जा सकती है?	प्रवेश हो जाने के 7 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना भेजी जा सकती है।
क्या एस.ओ.पी. के जारी होने से पहले किये गये प्रवेश पर एस.ओ.पी. लागू होगा?	नहीं
एस.ओ.पी. किस तिथि से प्रभावी होगा?	एफ.ए.क्यू.एस के जारी होने की तिथि से
श्रेणी-1 से श्रेणी-11 तक में प्रवेश के लिये कितना प्रक्रिया प्रभार देना होगा?	श्रेणी-11 सहित सभी श्रेणियों में प्रक्रिया प्रभार रु.1,000/- होगा।
विद्यालयों को कक्षा-IX और कक्षा-XI में प्रवेश हेतु कब सी.बी.एस.ई से अनुमति लेना अपेक्षित है?	(क) प्रवेश बन्द हो जाने और उपर्युक्त सभी (1) से (11) तक की श्रेणियों में निर्धारित कक्षा क्षमता अर्थात् 40 प्रति सेक्शन से अधिक प्रवेश की स्थिति में से अधिक। (ख) (1) से (11) तक की उपर्युक्त सभी श्रेणियों में पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश की स्थिति में।
प्रक्रिया प्रभार कब लिए जाते हैं?	जब कभी भी विद्यालय सी.बी.एस.ई से अनुमति ले रहे हों (निम्नलिखित मामलों में) अर्थात्: (क) प्रवेश प्रक्रिया बन्द होने और कक्षा में निर्धारित क्षमता अर्थात् प्रवेश 40 प्रति सेक्शन से अधिक हो जाने की स्थिति में। (ख) यदि प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि के पश्चात किया जाता है।